कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राज.)

क्रमांकः एफ–4(2)(1)राजस्व/2014/551 – 556 दिनांक 28 जनवरी, 2014

संपरिर्वतन आदेश

श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री बच्चू लाल जाति धोबी, निवासी–शाहबाद, तहसील शाहबाद के आवेदन पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम–9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री बच्चू लाल जाति धोबी, निवासी–शाहबाद, तहसील, शाहबाद
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है:–अनु. जाति
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :–
   (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम – ग्राम–बटावदी/ग्राम पंचायत, बिजोरा/ तहसील, अन्ता
   (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल :– खसरा नं. 528 रकबा 1.13 है0 में से 0.64 है0
   (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिर्वतित क्षेत्रफल (क्षेत्रफल हेक्टयर मे या वर्गमीटर मे) खसरा नं. 528 रकबा 1.13 है0 में से 0.64 है0
   टिप्पणी:–अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजनः संस्थागत प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक)
5. संदेय संपरिवर्तन प्रभारों की दर :– 34.4011 रूपये प्रति वर्ग मीटर
6. चालान की संख्या और तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम की रकम –चालान नं. 406 दिनांक 20.01.2014 तादादी 3,09,610/–संलग्न है। संपरिवर्तन शुल्क की राशि जमा राज करा दी गई है।
7. चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकमः– निल
8. चालान की संख्या और तारीख सहित, ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम – निल
9. क्या आदेश विनियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है – नहीं
10. अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो – प्रस्तावित भूमि ग्रामीण क्षेत्र में बोरीना रोड पर स्थित है।
11. उपर्युक्त संपरिर्वतन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्ययीन होगा –
   (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
   (2) यदि आवेदक इस आदेश की जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने मे विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहात कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमियम धनराशि समपहृत हो जायेगी।
   (3) नियम 4 मे यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
   (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित अधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
   (5) इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सडक से निर्धारित दूरी तक भूमि छोडकर उपयोग किए जाने की शर्त पर उक्त भूमि संस्थागत(शैक्षणिक)प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की जाती है।
   (6) आवेदन पत्रानुसार संपरिवर्तन शुल्क 0.90 है0 का जमा करवाया गया है एवं तहसीलदार, अन्ता की मौका रिपोर्ट के अनुसार 0.64 है0 भूमि संस्थागत (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की जाती है तथा शेष भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
   (7) उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर यह संपरिवर्तन आदेश निरस्तनीय होगा।

Re.1 INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

(सुमति लाल बोहरा)
जिला कलक्टर,
बारां

क्रमांकः एफ–4(2)(1)राजस्व/2014/551 – 556 दिनांक 28 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान–जयपुर ।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलेक्ट्रेट, बारां।
3. उप जिला कलक्टर, अन्ता।
4. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
5. श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री बच्चू लाल जाति धोबी, निवासी–शाहबाद, तहसील, शाहबाद, जिला–बारां (राज.)
6. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन मीणा)
कनिष्ठ लिपिक, रिकार्ड अनुभाग

फोटो कॉपी प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी
जिला रेकार्ड रूम

जिला कलक्टर,
बारां